भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1519
12 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों का वर्गीकरण

1519.श्री एस. ज्ञानतिरावियम:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि क्षेत्र के संदर्भ में देश में बड़े, मध्यम और छोटे किसानों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले अथवा कम भूमि वाले किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों और कृषि श्रमिकों का जीवनयापन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) से लाभान्वित होने वाले किसानों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क): कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, देश में भू-जोतों के प्रचालन के संदर्भ में प्रचालन धारकों की श्रेणी-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	आकार श्रेणी	प्रचालन धारकों की संख्या ('000 में)
1	सीमांत (1.00 हेक्टेयर से नीचे)	100251
2	छोटी (1.00 - 2.00 हेक्टेयर)	25809
3	अर्ध-मध्यम (2.00 - 4.00 हेक्टेयर)	13993
4	मध्यम (4.00 - 10.00 हेक्टेयर)	5561
5	बड़ी (10.00 हेक्टेयर)और उससे ऊपर)	838
योग		**146454**

(ख): कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, देश में 12606 मिलियन प्रचालन जोत धारक ऐसे थे जो दो हेक्टेयर से कम भूमि का प्रचालन कर रहे थे।

(ग): सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने और देश में किसानों और कृषि कामगारों की सहायता करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), ब्याज छूट योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास विभाग रोजगार और आजीविका के अवसरों के सृजन के

माध्यम से कृषि कामगारों/श्रमिकों सहित ग्रामीण लोगों को लाभान्वित करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। उपर्युक्त सभी योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जो संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा रखती हैं।

(घ): 07.12.2023 तक, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) के अंतर्गत नामांकित किसानों का जिला-वार कुल संख्या **अनुबंध** में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं. 1519

अनुबंध

उत्तर प्रदेश में पीएमकेएमवाई के तहत नामांकित किसानों की जिलेवार कुल संख्या (07.12.2023 तक)		
क्र.सं.	जिला	किसानों की संख्या
1	आगरा	5062
2	अलीगढ़	9700
3	अम्बेडकर नगर	635
4	अमेठी	1935
5	अमरोहा	1167
6	औरेया	1334
7	अयोध्या	2368
8	आज़मगढ़	1987
9	बागपत	756
10	बहराइच	2527
11	बलिया	1770
12	बलरामपुर	3048
13	बांदा	2489
14	बाराबंकी	2453
15	बरेली	2424
16	बस्ती	1162
17	भदोही	3153
18	बिजनौर	4394
19	बदायूं	545
20	बुलंदशहर	6205
21	चंदौली	1431
22	चित्रकूट	2268
23	देवरिया	860
24	एटा	3641
25	इटावा	1954
26	फर्रुखाबाद	2860
27	फ़तेहपुर	1785
28	फिरोजाबाद	1296
29	गौतम बुद्ध नगर	434
30	ग़ाज़ियाबाद	534
31	ग़ाज़ीपुर	3678
32	गोंडा	2831
33	गोरखपुर	2385
34	हमीरपुर	3322
35	हापुड़	1373
36	हरदोई	12032
37	हाथरस	9953
38	जालौन	1234
39	जौनपुर	2414
40	झांसी	10386

उत्तर प्रदेश में पीएमकेएमवाई के तहत नामांकित किसानों की जिलेवार कुल संख्या (07.12.2023 तक)		
क्र. सं.	जिला	किसानों की संख्या
41	कन्नौज	5246
42	कानपुर देहात	4829
43	कानपुर नगर	2793
44	कासगंज	16420
45	कौशांबी	1589
46	खेरी	2785
47	कुशीनगर	2812
48	ललितपुर	6457
49	लखनऊ	3023
50	महराजगंज	1916
51	महोबा	2921
52	मैनपुरी	4911
53	मथुरा	991
54	मऊ	1372
55	मेरठ	2268
56	मिर्ज़ापुर	1795
57	मुरादाबाद	2821
58	मुजफ्फरनगर	2102
59	पीलीभीत	1658
60	प्रतापगढ़	2713
61	प्रयागराज	10357
62	रायबरेली	1243
63	रामपुर	569
64	सहारनपुर	1902
65	संभल	1771
66	संत कबीर नगर	2845
67	शाहजहाँपुर	1385
68	शामली	1196
69	श्रावस्ती	1951
70	सिद्धार्थ नगर	4855
71	सीतापुर	18721
72	सोनभद्र	1710
73	सुल्तानपुर	1796
74	उन्नाव	6135
75	वाराणसी	3135
योग		**252778**

******